projects for the welfare of working children. In addition, with ILC's assistance two projects for the benefit of working children namely, BPEO (International Programme on elimination of Child Labour) and CLASP (Child Labour Action and Support Programme) have also been taken up.

देश में उचित दर की नई दुकानों का खोला जाना *112 श्री राम जेठमलानी :

- डा. जिनेन्द्र कुमार जैन: तथा नागरिक ऋापूर्ति, उपभोक्ता मामले चौर सार्धजनिक वितरण मंत्रा यह बताने को कृपा करेंगे कि :
- (क) बया यह सब है कि वर्ष 1992 के आरंभ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नबीती-करण करक इसका लाभ सुदूर ग्रामीण केंद्रों के निवासियों तक पहुँचाने के लिए देश के 1700 चए स्लाकों में 17,000 उचित दर की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था;
- (ख) यदि हां, तो क्या इन दुकानों पर नए राशन कार्ड भी बनाए गए थे; यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है;
- (ग) इन नए ब्लाकों में खोली गई दुकानों को वर्ष 1992-93 के दौराम कितना खाद्यान्न, प्रधात गेहुं और चावल प्रावंटित किया गया;
- (ध) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान वर्ष 1991-92 की तुलना में कम खाद्यान्न, ग्रर्थात् गेहं और सम्बल गारी किया गया था; और
- (ङ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 में कितना-कितना खाद्यान्न विक्रयार्थ दिया गया ?

नागरिक, स्रापूर्ति, उपभोक्ता मामले स्रौर सार्वजितिक विवरण: मंत्री (श्री ए. के. एन्टनी): (क) से (ड.) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों को सम्पुष्ट सार्वजिनिक वितरण प्रणाली लागू करने के लिए चुना है।

राज्य सरकारों/संव राज्य क्षेत्र प्रशासनों सैं 31-3-1993 तक प्राप्त रिपोटों ले प्रमुक्तर सम्मुख्य सार्वजनिक क्षितरण प्रणाली के क्षेत्रों में रहने वाली प्रावादी के लिए 10433 उचित दर की कुकामें खोली गई हैं और लगभग 25 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए गए हैं। जून, 1992 से केवल इस चुने क्षेत्रों में नितरण के लिए प्रति वर्ष 20 लाख मी. टन खाचात्र नियत किया गया है। यह राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में गत समय में पहले से ग्राबंदित किए जा रहे खादाश्च को माजा के श्रतिरिक्त है।

केन्द्रोय सरकार, राज्यों।संय राज्य क्षेत्रों को सार्वजिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का केवल थांक प्रावटन अरती है। यह राज्यों की जिम्मे-दारी है कि दे प्रपने राज्य के भीतर प्राने और वितरण करें। हकदारी की मात्रा, अंतर-जिला तथा अंतर-क्षेत्रीय प्रावटन ग्रादि संबंधित निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। उचित दर दुकान-वार ग्रावटन का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1992-93 में वितरण के लिए चावल तथा मेंहूं की कुल कमश 112.5 लाख मी. टन तथा 90.3 लाख मी. टन माला आवंटित की गई थी, जबकि 1991-92 में इन्हें इन वस्तुओं की कमश: 111.4 लाख मी. टन तथा 101.6 लाख मी. टन माला आवंटित की गई थी।

Accidents in Coal Mines

- 113. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of COAL be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2331 given in Rajya Sabha on the 15th March, 1993 and state:
- (a) whether it is a fact that accidents fatal and serious in the coal mines have Increased in 1992;
 - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) what are the details of such accidents, company-wise ?